(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–332–दो / 15 विरुद्ध आदेश दिनांक 23.12.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 621 / अपील / 2012–13

---

1. मोहम्मद शाहिद उर्फ गुड्डू
   पुत्र मोहम्मद अय्यूब खां जाति मुसलमान
   निवासी– ग्राम अमराई, तह0 लटेरी
   हाल मुकाम तलैया मोहहल्ला नगर सिरोंज
   तहसील सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)
2. मरियम बी पुत्री अय्यूब खां पत्नी श्री चांद खां
   जाति मुसलमान निवासी नयापुरा नगर सिरोंज
   तहसील सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)
3. हलीमा बी पुत्री मोहम्मद अय्यूब खां
   पत्नी मोहम्मद आरिफ खां निवासी– नयापुरा
   नगर सिरोंज तहसील सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)
4. जाहिदा बी पुत्री मोहम्मद अय्यूब खां पत्नी
   मोहम्मद शाकिर खां जाति मुसलमान
   निवासी– मिर्जापुर नगर गंजबासौदा
   तहसील गंहजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. यासमीन बी उर्फ बेबी बेवा मोहम्मद इकबाल खां
2. फैजुल हक पुत्र मोहम्मद इकबाल, जाति मुसलमान
   निवासीगण– ग्राम अमराई, तहसील लटेरी,
   जिला विदिशा (म.प्र.)
3. कु. साल्या नाबालिग
4. कु. हिना कौसर नाबालिग पुत्रियां मोहम्म्द इकबाल खां
   संरक्षक माता यासमीन बी बेवा मोहम्मद इकबाल खां
5. शकीला बी विधवा इदरीस खां
6. अनस खां नाबालिग
7. शबाना नाबालिग
8. फैजान नाबालिग पुत्र एवं पुत्रियां इदरीस खां

9\. साबिर खां पुत्र अब्दुल अजीज खां
अब्बी बी विधवा अब्दुल अजीज खां
तीनों निवासी ग्राम अमराई तहसील लटेरी
जिला विदिशा (म0प्र0) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी

अनावेदक क्र. 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश जैन

आदेश

(आज दिनांक 17/1/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 621/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2011 द्वारा नामांतरण किए जाने के आदेश दिए। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3\. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क दिए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोषों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वह गुण दोषों पर प्रकरण का

निराकरण करे। इसी प्रकार अपर आयुक्त महोदय द्वारा भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं वैधानिक स्थिति पर तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं न्याय दृष्टांतों पर विचार ना कर आदेश पारित किया गया है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया कि मो. अय्यूब खां की मृत्यु दिनांक 17.10.2010 का मुस्लिम लॉ के अनुसार कौन उत्तराधिकारी होगा तथा कौन वैधानिक रूप से भूमि स्वामी के रूप में नामांतरण कराने का हकदार है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मुस्लिम विधि के अनुसार मो. अय्यूब खां की मृत्यु दिनांक 17.10.2010 को हुई है उस दिनांक को केवल मुस्लिम विधि के अनुसार आवेदकगण ही मो. अय्यूब खां के वैध उत्तराधिकारी विधि अनुसार हैं। अनावेदकगण जो मो. अय्यूब खां के पुत्र मो. इकबाल के वारिस है, किंतु मो. इकबाल की मृत्यु मो. अय्यूब खां के जीवनकाल में होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों को मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी स्वत्व मो. अय्यूब खां की वादित भूमि से प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि मो. अय्यूब खां की मृत्यु के समय उनका एक पुत्र आवेदक क्र. 1 जीवित था। इस संबंध में मुस्लिम लॉ (मुल्ला प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ) (नाइंटीन्थ एडीशन) सेक्शन 69 एवं 93 अवलोकनीय है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार ना कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी का प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के कारण यह यह कर्तव्य था कि वह उक्त वैधानिक स्थिति पर विचार कर आदेश पारित करें। इस संबंध में 1991 आर.एन. 349 अवलोकनीय है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। साक्ष्य पर विचार किए बिना आदेश अवैध है। इसी प्रकार 1993 आर.एन. 71 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील न्यायालय, विचारण न्यायालय द्वारा

पारित निष्कर्ष से असहमत होने के कारण किसी प्रकार के कारण बताये बिना निष्कर्ष उलट नहीं सकता। इसी प्रकार 1988 आर.एन. 312, 318 अवलोकनीय है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण द्वारा जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई थी। उक्त अपील में उनके द्वारा स्वयं को हितबद्ध व्यक्ति बताते हुए अपील प्रस्तुत की गई थी। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 49(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही का निवेदन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2012 को आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण को कथित हिबानामे की प्रति पेश करने एवं प्रकरण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु दिनांक 27.07.2012 के उपरांत प्रकरण दिनांक 08.08.2012 के उपरांत लगभग 8 अवसर साक्ष्य हेतु नियत किए गए किंतु अनावेदक द्वारा कथित हिबानामे की प्रति पेश नहीं की गई और उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और दिनांक 02.02.2013 को अनावेदकगण जो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी थे के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त किया। इस प्रकार अनावेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, इसक बावजूद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और कथित हिबानामा की प्रति पेश नहीं की गई जबकि आवेदकगण द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 भोपाल द्वारा एम.जे.सी. क्र. 1/2012 में पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि आवेदकगण मो. अय्यूब खां के उत्तराधिकारी हैं। इस संबंध में 1988 आर.एन. 77 अवलोकनीय है। इसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेशों की सत्यप्रतिलिपियां साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई, अभिलेख पर ली गई। न्यायालय न्यायिक अवेक्षा के लिए बाध्य था। अपीलार्थीगण द्वारा जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 के आदेश की सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई थी उससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण ही मो. अय्यूब खां के एक मात्र उत्तराधिकारी हैं जिस पर विचार नहीं किया

गया। अनावेदकगण क्र. 1 से 4 द्वारा जब कथित हिबानामे की प्रति पेश नहीं की और ना ही उसके संबंध में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त करने में भूल की गई है। अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया। उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाना चाहिए।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का गुण—दोषों पर निराकरण यिा जाना चाहिए था। अनावेदकगण को जब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था ऐसी स्थिति में उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा बनती है तथा यह स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण को वादित भूमि में कोई हित निहित नहीं है ऐसी स्थिति में अनावेदकगण की अपील निरस्त की जानी चाहिए।

4. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार का आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत है । यह भी कहा गया किपेज नं. 10 पर रिर्पोट लगी है उसमें अनावेदक को वारिस माना है किंतु तहसील न्यायालय ने कोई जानकारी नहीं दी । इश्तहार का प्रकाश बताया गया है जो विधिवत नहीं है क्योंकि कोई ताामील हुई इसका उल्लेख नहीं हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी ने हमें सुनवाई के अवसर के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5. उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उनके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के

आधार पर यह पाया कि अनावेदकगण आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं और तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक है । उक्त कारण से अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है जो पूर्णतः विधिसम्मत कार्यवाही है । अपर आयुक्त ने भी इसी कारण से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया गया है । चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना अभिलेख से स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधता अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में की है । अतः यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर